न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 80/2018

मंशाराम पुत्र गोविन्दराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम ठाकूरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.02.2018 न्यायालय सहायक <u>कलैक्टर पीलीबंगा प्र0 सं0 87/2017 अनवानी स्टेट बनाम मंशाराम</u>

श्री संजय चाडक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –26.06.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत प्रस्तुत कर अपीलांट को आवंटन को रद्द का अनुतोष चाहा गया। अपीलांट द्वारा उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये आवंटन रद्द किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एवं न्याय सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट को वर्तमान ग्राम बडोपल की रोही मे खसरा नं. 1073 मे 12.10 बीघा बारानी रकबा सन् 1983 मे तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा आराजी आवंटित रकबा था। आराजी आवंटित होने के पश्चात अपीलांट को मौके पर भौतिक रूप से उक्त भूमि का कब्जा दिया गया। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात अपीलांट ने मौके पर काश्त की है एवं इसके बाद प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न अधिकारियों के द्वारा उक्त आवंटित रकबे का नवीनीकरण अपीलांट के पक्ष मे स्वीकार किया जाता रहा है। अपीलांट अपने परिवार सहित उक्त रकबे पर काश्त करता आ रहा है। तत्कालीन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (रा0न0यो0 क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत अपीलांट के आवंटन की पात्रता बाबत व आवंटित भूमि संबंधी रिपोर्ट लेकर प्र0स0 19/2002 से दिनांक 20.06.2002 को उक्त रकबा अपीलांट को कीमतन पुख्ता आवंटन स्वीकार किया हुआ रकबा है। उक्त पुख्ता आवंटित रकबे की देय किमत की समस्त राशि भी तहसील पीलीबंगा के टीआरए शाखा मे जमा करवा दी गई थी। विचारण न्यायालय ने यह अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार के द्वारा नियम 21 राज0उपनिवेशन नियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपने स्तर पर प्रार्थना पत्र के तथ्यों की सत्यता की कोई जांच नही की।अपने के जवाब प्रार्थना पत्र मे जो आपत्तियां थी उनको अपने निर्णय मे नही मानने का कोई कारण दर्ज नही किया है। अपीलांट को सन् 1983 मे हुए आवंटित रकबे को तथा वर्तमान मे अपीलांट के नाम बतौर पुख्ता आवंटित रकबे को केवल संदेह के आधार पर तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निरस्त करने का विचारण न्यायालय को कानून कोई अधिकार नही था। विचारण न्यायालय का यह कानूनी दायित्व था कि वे भूधारक से खसरा नं. 1073 की बाबत पूर्ण खुलासा रिपोर्ट लेते कि खसरा नं. 1073 मे कुल कितना रकबा है? तथा घग्गर फल्ड व वन विभाग को आवंटन हो जाने के बाद इस खसरा मे क्या किसी काश्तकार को भी भूमि काश्त हेतु आवंटित हुई है अथवा नही ? किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त अहम बिन्दूआ की कतई जांच नही की है। जबकि अपीलांट का उक्त आवंटनशुदा रकबा घग्गर बहाव क्षेत्र से काफी दूरी पर है। विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करते समय वादाधीन रकबे से संबंधित वर्तमान मे भी उच्चतर न्यायालय मे प्रकरण जैरकार रहते हुए एवं रकबे पर स्थगन आदेश प्रभावी होने की जानकारी होते हुए जो यह आदेश पारित किया है वह कानून मे प्रदत प्रावधानो की पूर्णतयाः अनदेखी करते हुए एवं समस्त सीमाओ को लांधते हुए पारित किया हुआ आदेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1073 रकबा 3. 163 है0 वर्तमान मे पु0आ0 दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी सम्वत 2050 मे उक्त रकबा घघ्घर मे दर्ज है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं. 4187 दिनांक 24.11.02 को आवंटन किया गया है। उक्त वर्णित रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट मे भी प्रतिबंधित है तथा वर्णित भूमि जो घघ्घर के जल भराव की भूमि है जो राजस्थान

टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानो मे भी प्रतिबंधित भूमि है। उक्त आवंटन अपीलांट को नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया जो सही है। अपीलांट ने बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष विद्वान वकुलाये की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट का तर्क है कि "अपीलांट को वर्तमान ग्राम बडोपल की रोही मे खसरा नं. 1073 मे 12.10 बीघा बारानी रकबा सन् 1983 मे तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार सूरतगढ़ के द्वारा आराजी आवंटित रकबा था। आराजी आवंटित होने के पश्चात अपीलांट को मौके पर भौतिक रूप से उक्त भूमि का कब्जा दिया गया। कब्जा प्राप्त करने के पश्चात अपीलांट ने मौके पर काश्त की है एवं इसके बाद प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न अधिकारियों के द्वारा उक्त आवंटित रकबे का नवीनीकरण अपीलांट के पक्ष मे स्वीकार किया जाता रहा है। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (रा0न0यो0 क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत अपीलांट के आवंटन की पात्रता बाबत व आवंटित भूमि संबंधी रिपोर्ट लेकर प्र0स0 19/2002 से दिनांक 20.06.2002 को उक्त रकबा अपीलांट को कीमतन पुख्ता आवंटन स्वीकार किया हुआ रकबा है। विचारण न्यायालय ने यह अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार के द्वारा नियम 21 राज0उपनिवेशन नियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपने स्तर पर प्रार्थना पत्र के तथ्यों की सत्यता की कोई जांच नही की। अपीलांट को सन् 1983 मे हुए आवंटित रकबे को तथा वर्तमान मे अपीलांट के नाम बतौर पुख्ता आवंटित रकबे को केवल संदेह के आधार पर तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर निरस्त करने का विचारण न्यायालय को कानून कोई अधिकार नही था। विचारण न्यायालय का यह कानूनी दायित्व था कि वे भूधारक से खसरा नं. 1073 की बाबत पूर्ण खुलासा रिपोर्ट लेते कि खसरा नं. 1073 मे कुल कितना रकबा है? तथा घग्गर फल्ड व वन विभाग को आवंटन हो जाने के बाद इस खसरा मे क्या किसी काश्तकार को भी भूमि काश्त हेतु आवंटित हुई है अथवा नही ? किन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त अहम बिन्दूआ की कतई जांच नही की है। जबकि अपीलांट का उक्त आवंटनशुदा रकबा घग्गर बहाव क्षेत्र से काफी दूरी पर है।" विद्वान राजकीय अधिवक्ता स्टेट का तर्क है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि ''ग्राम बड़ोपल बारानी के खसरा नं. 1073 रकबा 3.163 है0 वर्तमान मे पु0आ0 दर्ज रिकार्ड है जमाबंदी सम्वत 2050 मे उक्त रकबा घघ्घर मे दर्ज है तथा आवंटन अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के आवंटन आदेश नं. 4187 दिनांक 24.11.02 को आवंटन किया गया है। उक्त वर्णित रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट मे भी प्रतिबंधित है तथा वर्णित भूमि जो घघ्घर के जल भराव की भूमि है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानो मे भी प्रतिबंधित भूमि है। उक्त आवंटन अपीलांट को नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।''

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट का आवंटितशुदा रकबा को घघ्घर फल्ड मे रकबा मानते हुए राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत अपीलांट के आवंटन को निरस्त किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सन् 1967 के जारी नोटीफिकेशन के अनुसार यह जांच नही की गई कि रकबा घघ्घर फल्ड मे है या नही? यदि उक्त रकबा घघ्घर फल्ड मे पाया जाता है तो भी उपखण्ड अधिकारी को राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प. क्षेत्र सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार नही है, क्योंकि नियम 21 मे विहित प्रावधानो के अनुसार आवंटी द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र मे किसी तथ्य को छुपाने अथवा गलत सूचना के आधार पर आवंटन करवाया गया है तो निरस्त करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को है। प्रश्नगत रकबा यदि घघ्घर फल्ड मे पाया जाता है तो तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय को प्रकरण रेफरेंस हेतु भिजवाया जाना चाहिए था। प्रश्नगत रकबा के संबंध मे अनवानी प्रकरण चन्दूराम बनमा मंशाराम आदि अपील संख्या 2780/2012 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश भी है जो आज भी प्रभावी है। परन्तु उक्त परिस्थितियों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायपूर्ण नही होने के कारण पुष्टि की जाकर यथावत रखे जाने योग्य नही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करते हुए घघ्घर फल्ड प्रभावित क्षेत्र हेतु जारी अधिसूचना 1967 मे

अंकित रकबे से सत्यापन करते हुए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन प्रकरण मे किए गए स्थगन की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए निस्तारण करें। यदि वादग्रस्त भूमि अधिसूचना के अनुसार घग्घर फल्ड से प्रभावित पायी जाती है तो अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण के अन्तर्गत रेफरेन्स की कार्यवाही हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण के अनुसार तहसीलदार को निर्देशित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official